भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2321
15.12.2025 को उत्तर के लिए

प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीरी के वैज्ञानिक मॉडलों का एकीकरण

2321. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषकर देश के गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में 'वन-साइज-फिट्स ऑल' नीति के बदले स्थान-विशिष्ट, विज्ञान-संचालित अंत:क्षेपों की ओर कदम बढ़ाए जा सकने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के वैज्ञानिक मॉडलों को नियामक तंत्र में एकीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-प्राप्ति शहरों (एनएसी) का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और साथ ही साथ उन विशिष्ट मानदण्डों और वायु गुणवत्ता मानकों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर किसी शहर को आधिकारिक तौर पर एनएसी के रूप में नामित किया जाता है;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि शहर कार्य योजनाएं जेनेरिक उपायों का कार्यान्वयन करने की अपेक्षा अपने विशिष्ट स्रोत नियुक्ति (एसए) अध्ययनों के निष्कर्षों के साथ वैज्ञानिक रूप से संबद्ध रहें;

(घ) सरकार द्वारा देश में सड़क धूल प्रबंधन जैसे प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या दिशानिर्देश दिए गए हैं/उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या इन एनएसी में उच्च प्रदूषण स्तरों से बहुधा असमान रूप से प्रभावित होने वाली सबसे असुरक्षित आबादी की संरक्षा के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ): सीएसआईआर - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी)–प्रदूषण स्रोत निर्धारण (एसए), उत्सर्जन सूची (ईआई), और वहन क्षमता आकलन सहित वैज्ञानिक अध्ययनों के संचालन के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीपीसी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की सहायता करता रहा है। सीएसआईआर - नीरी ने सूचित किया है कि उसने एनएसीपी के कार्यान्वयन हेतु 25 शहरों (महाराष्ट्र के 18, पश्चिम बंगाल के 5 और आंध्र प्रदेश के 2 शहर) के लिए प्रदूषण स्रोत निर्धारण अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है।

सीपीसीबी ने PM10 स्तरों के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के लगातार वर्ष 2014-2018 की पाँच वर्षों की अवधि में उल्लंघन के आधार पर 122 वायु गुणवत्ता मानक-अनुरूप न होने वाले शहरों की पहचान की है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनएसीपी) को एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में शुरू किया, जिसका उद्देश्य देशभर के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इनमें 122 अवमानक शहर और 8 अन्य मिलियन-प्लस जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार इन शहरों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सीपीसीबी ने "वायु गुणवत्ता निगरानी, उत्सर्जन सूची (ईआई) एवं प्रदूषण स्रोत निर्धारण अध्ययन (एसए) हेतु संकल्पनात्मक दिशानिर्देश एवं सामान्य कार्यप्रणाली जारी की है। सीपीसीबी द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी एसपीसीबी/पीसीसी अपने-अपने शहरों के शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से एनएसीपी के अंतर्गत प्रदूषण स्रोत निर्धारण का अध्ययन करवाते हैं। एनएसीपी के अंतर्गत सभी शहरों ने शहर स्तरीय कार्ययोजनाएँ तैयार कर ली हैं, जिनमें सड़क की धूल पर नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ तथा औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण जैसे क्षेत्रवार कार्यकलाप शामिल हैं। जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियाँ–जिनकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं, यूएलबी द्वारा तैयार की गई इन कार्ययोजनाओं को मंजूरी देती हैं और इन कार्यकलापों को प्राथमिकता देती हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनएसीपी के अंतर्गत सभी शहरों को "शहरी सड़कों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव तथा यातायात गलियारों के हरित विकास द्वारा धूल नियंत्रण उपायों हेतु मार्गदर्शन दस्तावेज़ परिचालित किया है, ताकि धूल-मुक्त सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह दस्तावेज़ भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के इंजीनियरिंग मानकों को पर्यावरणीय उपायों–जैसे धूल नियंत्रण,वनस्पति एवं जल निकासी प्रणाली के साथ एकीकृत करता है, ताकि संधारणीय शहरी अवसंरचना और वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किए जा सके।

समीर-एक केन्द्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप रियल टाइम वायु गुणवत्ता आंकड़ों और प्रति घंटा एक्यूआई इन्डेक्स को जनता के बीच प्रसारण के लिए कार्यरत है। सीपीसीबी द्वारा प्रतिदिन शाम 4.00 बजे देश के विभिन्न शहरों के एक्यूआई से संबंधित आंकड़ों का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाता है। यह ऐप शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी उपयोगी है, जहाँ नागरिक प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़े संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध रहते हैं ।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 शहरों द्वारा केंद्रित कार्यों के साथ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसमें 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में PM10 सांद्रता में कमी हुई हैं, 64 शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में इनमें PM10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी हुई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी हुई है। कुल 22 शहरों ने एनएएक्यूएस के मापदण्डों को पूरा किया है इनमें PM10 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम/मीटर^3 से कम है।

*****

अनुलग्नक-I

एनसीएपी के तहत नॉन-अटेनमेंट शहरों (एनएसी) और दूसरे मिलियन प्लस शहरों की सूची

राज्य	क्र.सं.	शहर
		गैर-प्राप्ति शहर
आंध्र प्रदेश (13)	1.	गुंटूर
	2.	कुरनूल
	3.	नेल्लोर
	4.	विजयवाड़ा
	5.	विशाखापत्तनम
	6.	अनंतपुर
	7.	चित्तूर
	8.	एलुरु
	9.	कड़प्पा
	10.	ओंगोल
	11.	राजमुंदरी
	12.	श्रीकाकुलम
	13.	विजयनगरम
असम (05)	14.	गुवाहाटी
	15.	नैगांव
	16.	नलबाड़ी
	17.	शिवसागर
	18.	सिलचर
बिहार (03)	19.	पटना
	20.	गया
	21.	मुजफ्फरपुर
चंडीगढ़ (01)	22.	चंडीगढ़
छत्तीसगढ़ (03)	23.	भिलाई
	24.	कोरबा
	25.	रायपुर
	26.	दिल्ली
दिल्ली (01)	27.	सूरत
गुजरात (03)	28.	अहमदाबाद
	29.	वडोदरा
हिमाचल प्रदेश (7)	30.	बद्दी
	31.	डमटाल
	32.	काला अम्ब
	33.	नालागढ़
	34.	पोंटा साहिब
	35.	परवाणू

	36.	सुंदरनगर
जम्मू एवं कश्मीर (2)	37.	जम्मू
	38.	श्रीनगर
	39.	धनबाद
झारखंड (01)	40.	बैंगलोर
कर्नाटक (04)	41.	दावनगिरी
	42.	गुलबर्गा
	43.	हुबली, धारवाड़
मध्य प्रदेश (06)	44.	भोपाल
	45.	देवास
	46.	इंदौर
	47.	सागर
	48.	उज्जैन
	49.	ग्वालियर
महाराष्ट्र (18)	50.	अकोला
	51.	अमरावती
	52.	औरंगाबाद
	53.	बदलापुर
	54.	चंद्रपुर
	55.	जलगांव
	56.	जालना
	57.	कोल्हापुर
	58.	लातूर
	59.	मुंबई
	60.	नागपुर
	61.	नासिक
	62.	नवी मुंबई
	63.	पुणे
	64.	सांगली
	65.	सोलापुर
	66.	उल्हासनगर
	67.	थाणे
	68.	बर्नीहाट
मेघालय (01)	69.	दीमापुर
	70.	कोहिमा
उड़ीसा (07)	71.	अंगुल
	72.	बालासोर
	73.	भुवनेश्वर
	74.	कटक
	75.	राउरकेला

	76.	तालचेर
	77.	कलिंग नगर
पंजाब (09)	78.	डेरा बास
	79.	गोबिंदगढ़
	80.	जालंधर
	81.	खन्ना
	82.	लुधियाना
	83.	नया नांगल
	84.	पठानकोट/ डेरा बाबा
	85.	पटियाला
	86.	अमृतसर
राजस्थान (05)	87.	अलवर
	88.	जयपुर
	89.	जोधपुर
	90.	कोटा
	91.	उदयपुर
तमिलनाडु (03)	92.	तूतीकोरिन
	93.	त्रिची
	94.	मदुरै
तेलंगाना (04)	95.	हैदराबाद
	96.	नलगोंडा
	97.	संगारेड्डी
उत्तर प्रदेश (16)	98.	आगरा
	99.	इलाहाबाद
	100.	अनपरा
	101.	बरेली
	102.	फिरोजाबाद
	103.	गजरौला
	104.	गाजियाबाद
	105.	झांसी
	106.	कानपुर
	107.	खुर्जा
	108.	लखनऊ
	109.	मुरादाबाद
	110.	नोएडा
	111.	रायबरेली
	112.	वाराणसी
	113.	गोरखपुर
उत्तराखंड (03)	114.	काशीपुर
	115.	ऋषिकेश

	116.	देहरादून
पश्चिम बंगाल (07)	117.	कोलकाता
	118.	आसनसोल
	119.	बैरकपुर
	120.	दुर्गापुर
	121.	हल्दिया
	122.	हावड़ा
दस लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर जो नॉन-अटेनमेंट शहरों की कैटेगरी में नहीं आते		
गुजरात (1)	123.	राजकोट
हरियाणा (1)	124.	फरीदाबाद
झारखंड (2)	125.	जमशेदपुर
	126.	रांची
मध्य प्रदेश (1)	127.	जबलपुर
उत्तर प्रदेश (1)	128.	मेरठ
महाराष्ट्र (1)	129.	वसई- विरार
तमिलनाडु (1)	130.	चेन्नई

*****